न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या 165/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00174)

रामफूल पुत्र रामप्रताप, जाति गुर्जर, निवासी मोराडी, तहसील बसवा जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. किशोर पुत्र ग्यारसा जाति माली, निवासी मोराडी चक नंबर 3, तहसील बसवा, जिला दौसा।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा, जिला दौसा राजस्थान।
3. आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 06.06.2014 जो प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन रूल्स अनुवानी रामफूल बनाम किशोर प्रकरण संख्या 8/2013 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री विनोद कुमार विजय, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चरण सिंह डोई, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 13.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 06.06.2014 के विरूद्ध दिनांक 27.06.2014 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा दिनांक 20.11.2004 को वाके ग्राम मोराडी चक नम्बर 3, तहसील बसवा में स्थित बंजड बीहड भूमि खसरा नम्बर 44 में से 0.45 है0, ख0 नं0 58 रकबा 0.06 है0 व ख.नं. 50 रकबा 0.02 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 किशोर पुत्र ग्यारसा जाति माली, निवासी मोराडी चक नंबर 3, तहसील बसवा, जिला दौसा को किया गया था। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी रामफूल पुत्र रामप्रताप द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2014 द्वारा प्रार्थी रामफूल पुत्र रामप्रताप द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज करने के आदेश पारित किये गये।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 06.06.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामफूल पुत्र रामप्रताप द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2014 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त आवंटन आवंटन रूल्स की अवहेलना करके फ्राड व धोके से करना सिद्ध था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन बहाल रखकर कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। आवंटित की गयी भूमि बंजड बेहड काबिल चरागाह व खडडेंदार भूमि सिद्ध थी जिसका आवंटन आवंटन रूल्स व राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

धारा 16 के अनुसार नही किया जा सकता है उक्त भूमि नाकाबिल आवंटन भूमि थी किन्तु फिर भी गलत आवंटन किया गया था अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त सभी बाते सिद्ध थी किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन बहाल रखकर कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त भूमि की ना तो कोई उद्घोषणा जारी होना सिद्ध था ना ही उद्घोषणा की तामील करवाना सिद्ध था ना ही अप्रार्थी नंबर 1 ने कालम नंबर 1 की पूर्ति की थी ना ही आवंटन का प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया था ना ही यह अंकित किया गया था कि प्रार्थना पत्र कौनसी तारीख को पेश किया गया है उक्त सभी बाते अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भली भांति सिद्ध थी किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन बहाल रखकर कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। आवंटन सलाहकार समिति ने बिना कोरम हुए बिना उक्त आवंटन किया है आवंटन आदेश को प्रथम दृष्टया देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर है वो किस सदस्य के है उस पर कोई स्पष्ट पद या मोहर नही है उक्त आवंटन कहा किया गया है यह भी जाहिर नही होता है आवंटन कमेटी ने कोई सिफारिश नहीं की है बल्कि सीधा ही आवंटन दिखाया गया है जो कानूनन गलत है उक्त बाते अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिद्ध थी किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन बहाल रखकर कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट अपने पशुओं को चराते है एवं अपने पशुओं के चराने के लिये चारा करते है आज भी उक्त भूमि में अपीलान्ट अपने पशुओं को चराता है व चारा पैदा करता है उक्त भूमि वरवक्त आवंटन वैकेट लैण्ड भूमि भी नही थी किन्तु फिर भी उक्त भूमि का आवंटन किया गया था। ऐसे आवंटन को अधीनस्थ न्यायालय ने बहाल रखकर कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारी मिलने को आधार मानकर और वर्तमान रिकार्ड के आधार पर तहसीलदार द्वारा की गयी रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त आवंटन को बहाल रखा है व मौका की रिपोर्ट लेनी चाहिए थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उक्त किसी भी बात पर गौर किये बिना ऐसे आवंटन को बहाल रखकर कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारी मिलने के बाद 14 (4) आवंटन रूल्स के प्रार्थना पत्र की सुनवायी नही किया जा सकने को आधार मानकर निर्णय पारित किया है माननीय राजस्व मंडल व माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में यह तय किया है कि यदि आवंटन नियम विरूद्ध व गलत किया गया है तो आवंटन को खातेदारी मिलने के बाद भी खारिज किया जा सकता है अपीलान्ट ने इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रूलिंग भी प्रस्तुत की थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की रूलिंग को कंशीडर नही करते हुए उक्त आवंटन को बहाल रखकर कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील मंजूर फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 6.06.2014 एवं आवंटन आदेश दिनांक 20.11.2004 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति ने उक्त आवंटन विधिवतरूप से मजमेआम में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 किशोर पुत्र ग्यारसा जाति माली, निवासी मोराडी चक नंबर 3, तहसील बसवा, जिला दौसा को किया गया था। उक्त आवंटन से पहले उद्घोषणा जारी हुई है। विवादग्रत आराजी काबिल कास्त है चराई की भूमि नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने आवंटन के समय से ही कब्जा संभाल कर मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमायी जावे व अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का आदेश दिनांक 06.06.2014 व आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 20.11.2004 बहाल रखा जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड

अधिकारी बांदीकुई द्वारा दिनांक 20.11.2004 को वाके ग्राम मोराडी चक नम्बर 3, तहसील बसवा में स्थित बंजड बीहड भूमि खसरा नम्बर 44 में से 0.45 है0, ख0 नं0 58 रकबा 0.06 है0 व ख.नं. 50 रकबा 0.02 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 किशोर पुत्र ग्यारसा जाति माली, निवासी मोराडी चक नंबर 3, तहसील बसवा, जिला दौसा को किया गया था। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी रामफूल पुत्र रामप्रताप द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2014 द्वारा प्रार्थी रामफूल पुत्र रामप्रताप द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज करने के आदेश पारित किये गये। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा दिनांक 20.11.2004 को वाके ग्राम मोराडी चक नम्बर 3, तहसील बसवा में स्थित बंजड बीहड भूमि खसरा नम्बर 44 में से 0.45 है0, ख0 नं0 58 रकबा 0.06 है0 व ख.नं. 50 रकबा 0.02 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 किशोर पुत्र ग्यारसा जाति माली, निवासी मोराडी चक नंबर 3, तहसील बसवा, जिला दौसा को किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के अभिलेख के अवलोकन पर यह पाया कि आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन से पूर्व उद्घोषणा जारी कर मजमेआम में विधिवत रूप से आवंटन किया गया है। तहसीलदार बसवा से ली गई रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम मोराडी चक नं. 3 में मुताबिक भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई मिसल बन्दोबस्त संवत् 2052 से 2071 के अनुसार राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा–114 व नियम 23 के अन्तर्गत बदस्तूर गांवाई अनुसार उक्त ग्राम में जिम्मन–5 जमाबन्दी अनुसार चारागाह भूमि दर्ज रिकार्ड नहीं है और ना ही वर्तमान में रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार जिम्मन नं. 5 में चारागाह भूमि दर्ज रिकार्ड है। मिसल अनुसार खसरा नम्बर 44 रकबा 1.96 है0 की किस्म बंजड है जो जिम्मन नंबर 1 सिवाय चक लगानी भूमि दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी प्राप्त हो गयी जिसको 14(4) में नहीं सुन सकते है, के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2014 द्वारा प्रार्थी रामफूल पुत्र रामप्रताप द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज करने के आदेश पारित किये गये। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2014 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2014 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर।